

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 42

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02177

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "एंभियंस बिजनेस पार्क", प्रमोटर-श्रीराम इन्फ्रा रिसोर्सेस, द्वारा-श्री अखिलेख अग्रवाल, पता-के.राव. टेलर के बगल, सी.एम.डी. चौक के पास, लिंक रोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"एंभियंस बिजनेस पार्क" पता-लिंक रोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
15/03/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "एंभियंस बिजनेस पार्क" पंजीयन क्रमांक-PCGREERA070919001035 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 07.09.2019 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनांक 30.08.2023 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा-59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 24.11.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 07.02.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- अनावेदक द्वारा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत जवाब में लेख किया गया है कि अनावेदक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से दिनांक 25.01.2022 को प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। अनावेदक द्वारा रेरा अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के सभी नियमित अनुपालन के साथ परियोजना को पूरा कर लिया गया है। अनावेदक द्वारा अनजाने में प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र रेरा वेबपोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 42

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02177

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "एंभियंस बिजनेस पार्क", प्रमोटर-श्रीराम इन्फ्रा रिसोर्सेस, द्वारा-श्री अखिलेख अग्रवाल, पता-के.राव. टेलर के बगल, सी.एम.डी. चौक के पास, लिंक रोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"एंभियंस बिजनेस पार्क" पता-लिंक रोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>आधार पर अनावेदक पर जुर्माना नहीं लगाये जाने तथा प्रकरण को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।</p> <ul style="list-style-type: none">- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 25.01.2022 को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन सितम्बर, 2021 तक पूर्ण किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है।- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। <p style="text-align: center;">सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	